दोस्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं और पुलिस व्यवस्था में सुधार लाया जाए।

☆ पुलिस बल को सब की नुमाईंदा और भेदभाव रहित बनाने के लिए इस में अल्पसंख्यकों के लिए 25% आरक्षण (15% मुस्लिम और +10% अन्य) हो। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं।

(10) ☆ कन्या भ्रुण हत्या के अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाए।

☆ महिलाओं के सम्मान और मर्यादा की रक्षा और यौन अपराधों की रोकथाम के लिए एक व्यापक नीति तैयार की जाए और उचित कानून बना कर अपराधियों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित की जाए।

☆ समाज में नैतिक मूल्यों और पावनता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नीति में उचित कानून पारित करके नैतिक और धार्मिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल की जाए।

☆ शराब और अन्य नशीली वस्तुओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। उन्हें बनाने, बेचने और खरीदने को अपराध करार दिया जाए।

☆ मीडिया, फिल्म और साहित्य के द्वारा अश्लीलता के फैलाव को रोका जाए। इस संबंध में Film Censor Board के नियमों में उचित संशोधन किया जाए। मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक सशक्त मीडिया निगरानी आथोरेटी स्थापित की जाए।

☆ पुरुष और महिला बिना शादी साथ रहने (Live in Relationship) को कानूनन अपराध करार दिया जाए।

☆ होमो सेक्स्युलिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर

(3) ☆ आतंकवाद के कारकों का प्रभावी निराकरण करके आतंकवाद को पूरी तरह ख़त्म कियाजाय ताकि जनता में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके।

☆ अत्याचार, हिंसा, राज्य दमन और सांप्रदायिक दंगों की समाधान पुर्वक रोकथाम।

☆ गरीबों, महिलाओं, मुसलमानों और देश के असुरक्षित वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(4) ☆ भ्रष्टाचार, अभद्रता, यौन अपराध, भाई भतीजावाद, राजनीति में अपराधिक तत्वों की घुसपेठ, भेदभाव और जातीवाद जैसी बुराइयों के ख़िलाफ प्रभावी कदम उठाना। अमानतदारी, पावनता और शुद्धता, व्यापक दृश्टिकोण आदि मूल्यों का विकास।

☆ हर समुदाय के पहचान का सम्मान। राज्य मशीनरी और राजनीतिक संरचना को नैतिक मूल्यों का पाबंद करना।

(क) नीति निर्माण के लिए उपायः

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम जनता का समर्थन चाहने वाली पार्टियों से मांग करते हैं कि वे कानून और नीति निर्माण के उपायों पर आधारित निम्नलिखित 16 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने का स्पष्ट शब्दों में वादा करें :

(1) ☆ उचित कानून बना कर देश के सभी नागरिकों के जीवन आवश्यक वस्तुओं के अधिकार (Right to Livelihood) को स्वीकार किया जाए। जिसके तहत अन्न, कपड़े, घर,